न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या :– 04/2023 राजस्व वाद

उनवान

1 जगदीश पिता गोपाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

2 योगेन्द्र पिता कन्हैयालाल स्वर्णकार उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

—— (वादी)

बनाम

1. मु.मानी पुत्री कल्याण गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

——(प्रतिवादी गण)

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित –

1. श्री सुनील कुमार शर्मा ——अधिवक्ता वादीगण
2. विपक्षीगण समस्त अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांक – 18.08.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुए वादी की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम **ग्राम गणपतिया खेडा प.ह. क्षेत्र सणगारी भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र फूलियाकलां तहसील फूलियाकंला की जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 526, 527, 528 किता 3 रकबा 0.57 हैक्टयर** आराजियात स्थित हैं। जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का हिस्सा निहित हैं।

वादी शामलाती खसरा होने से अपने हक काबिज हिस्से का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकता हैं। प्रतिवादी विभाजन कराने को सहमत नहीं है, एवं आये दिन इस विषय को लेकर विवाद उत्पन्न करते है। इसलिए वाद वादी मंजूर फरमाते हुये, वादग्रस्त खसरे का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड मे पृथक से वादी का नवीन खाता कायम करने की डिक्री पारित की जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को जारी सम्मन बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी सुनवाई पर बावजूद सूचना हाजिर नही होने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। तत्पश्चात वादी की शहादत्त मे उपस्थित वादी द्वारा वाद पत्र के साथ समर्थन में प्रस्तुत राजस्व आधार अभिलेख चालू जमाबन्दी संवत 2074–2077, राजस्व नक्शा पर लाल स्याही से क्रमशः प्रदर्श–01, 02 के अंकन किये गये।

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित वादी के विद्वान अभिभाषक श्री सुनील कुमार शर्मा ने न्यायालय मे समक्ष बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की कलमों को दोहराते हुए वादी के वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार होने से उसके हक एवं काबिज हिस्से अनुसार वादग्रस्त खसरे का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये विभाजन किये जाने का अनुरोध किया।

वादी/अधिवक्ता वादी के कथनो से न्यायालय सहमत है कि वादी विवादित आराजी में बतौर सहखातेदार होकर अपने हक काबिज हिस्से अनुसार खसरे का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा प्राथमिक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। दूसरी ओर इसके विरूद्ध प्रकरण में कोई प्रतिरोध/खण्डन भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी प्रारंम्भिक डिक्री किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार मंजूर किया जाता है कि वाके **ग्राम गणपतिया खेडा प.ह. क्षेत्र सणगारी भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र फूलियाकलां तहसील फूलियाकंला की जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 526, 527, 528 किता 3 रकबा 0.57 हैक्टयर भूमि का** वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य हक काबिज हिस्से अनुसार विभाजन किया जावें इस हेतु तहसीलदार फुलियाकंला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये, वादग्रस्त खसरे का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची/स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या :– 04/2023 राजस्व वाद

उनवान

1 जगदीश पिता गोपाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

2 योगेन्द्र पिता कन्हैयालाल स्वर्णकार उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

— (वादी)

बनाम

1. मु.मानी पुत्री कल्याण गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –

1. श्री सुनील कुमार शर्मा —अधिवक्ता वादीगण
2. विपक्षीगण समस्त अनुपस्थित

दिनांक– 18.08.2023

वादपत्र वादी मंजूर किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री ब–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार जारी की जाती हैं एवं तहसीलदार फुलियाकंला को कमीशनर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि **ग्राम गणपतिया खेडा प.ह. क्षेत्र सणगारी भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र फूलियाकलां तहसील फूलियाकंला की जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 526, 527, 528 किता 3 रकबा 0.57 हैक्टयर** भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य हक एवं काबिज हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के नियम 18–21 की पालना करते हुए बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड के आधार पर विभाजन करते हुये प्रस्ताव/स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे दिनांक 19.10.2023 तक प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner